छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक–A एकात्म पथ, सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30/06/2023

क्रमांक/90/04/योजना/बीओसी/2023/ 143 ''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **''दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना''** में **छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19.04.2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में** पूर्व में जारी **अधिसूचना क्रमांक/2012/07 दिनांक 23.11.2012, अधिसूचना क्रमांक 08 दिनांक 23.11.2012, अधिसूचना क्रमांक 42 दिनांक 18.02.2016 एवं आदेश क्रमांक भअसककम/क्रमांक/73/2015 दिनांक 15.09.2015 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :–**

(क) योजना का प्रावधान :–

1. योजना का नाम **''मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना''** होगा।
2. योजना के तहत् मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराये जाने हेतु एकमुश्त राशि, वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20,000/– देय होगा।
3. योजना के तहत् पंजीकृत निर्माण मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये दृष्टिबाधित चश्मा हेतु रूपये 1,000 कृत्रिम दन्त हेतु रूपये 5,000 एवं श्रवण बाधित यंत्र हेतु रूपये 6,000 प्रदाय किया जावेगा।
4. योजना के तहत् श्रमिकों को 15 दिवस से अधिक दिनों तक अस्पताल भर्ती रहने पर उस अवधि में घोषित न्यूनतम वेतन के माने से 15 दिवस के बराबर वेतन प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा किया जावेगा।
5. योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक जो मंडल में निरंतर 03 वर्ष तक पंजीकृत हो उनको ह्रदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर का ईलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर उनके बेहतर ईलाज/दवाई/चिकित्सा कराये जाने हेतु एकमुश्त राशि, वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20,000/– देय होगा।(**यह लाभ प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत योजना एवं खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अतिरिक्त होगा।**)

निरंतर..........2

(ख) योजना हेतु पात्रता :–

1. 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
2. निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।
3. योजना के तहत् केवल पंजीकृत श्रमिक को ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य पात्र नहीं होंगे।

(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से/श्रमेव जयते मोबाईल एप/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से एवं मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
2. योजना के तहत् प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।
3. **योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज :–**
   - 3.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की मूल स्कैन प्रति।
   - 3.2 हितग्राही श्रमिक के आधार कार्ड मूल स्कैन प्रति।
   - 3.3 बैंक पासबुक की मूल स्कैन प्रति।
   - 3.4 अस्पताल द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज जिसके माध्यम से ईलाज/दवाई/चिकित्सा कराये जाने की पुष्टि हो की मूल स्कैन प्रति।
   - 3.5 दुर्घटना में चिकित्सा की दशा में एफ0आई0आर0 की रिपोर्ट की प्रति तथा दुर्घटना में ग्रस्त अंग की संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
   - 3.6 दृष्टि/श्रवण/यंत्र जिसके लिए ईलाज कराया जा रहा है के संबंध में संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
   - 3.7 गंभीर बीमारी जिसके लिए ईलाज कराया जा रहा है के संबंध में शासकीय चिकित्सक/सिविल सर्जन/संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
   - 3.8 वेतन प्रतिपूर्ति की राशि प्रदाय किए जाने के संबंध में श्रमिक के 15 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की पुष्टि के संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

टीप :–**ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।**

निरंतर...3

(घ) स्वीकृति का अधिकार :–

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त, श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक को होगा।

(ङ.) भुगतान की प्रक्रिया :–

योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित राशि आरटीजीएस/एनईएफटी/डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी।

(च) विसंगति का निराकरण :–

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 01.05.2023 से प्रभावशील होगी।

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

30/6/2023

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/90/04/योजना/बीओसी/2023/1305-1322 नवा रायपुर, दिनांक 30.06.2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।

निरंतर...4

8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
11. समस्त, जिला–कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
12. समस्त, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. समस्त, उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
18. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 18/02/2016

क्रमांक 42 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा **"छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल"** के अधिसूचना क्रमांक 08, दिनांक 23.11.2012 में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए **"दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना"** में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती हैः–

(अ) **योजना का प्रावधान–**

(iv) योजना के तहत पंजीकृत निर्माण मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये चश्मा हेतु रूपये 1000, कृत्रिम दन्त हेतु रूपये 5000 एवं श्रवण यंत्र हेतु रूपये 6000 प्रदाय किया जावेगा ।

शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी ।

18/2/2016

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृ0क्र0 / 2016 / 11236 - 11242 नया रायपुर, दिनांक 18/2/16

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, (BOCWWB) छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
5. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी.......................... ....(छ0ग0)
7. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ प्रस्तुत।

18/2/2016

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पी0—3सी0, 244—245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर (छ0ग0)

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 15/09/2015

भअसककम/क्रमांक/ 73 /2015, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की तेरहवी बैठक दिनांक 19—08—2015 में **"दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना"** में प्रस्तावित आंशिक संशोधन पर मंडल से अनुमोदन उपरान्त छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 15 दिवस से अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर उस अवधि में घोषित न्यूनतम वेतन के मान से 15 दिवस के बराबर वेतन प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा किया जावेगा। शेष नियम व शर्ते यथावत् रहेगी।

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पृ0क0/भअसककम/क्रमांक/1076-1085 नया रायपुर, दिनांक 15/09/15

प्रतिलिपि :—

(1) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
(2) अपर मुख्य सचिव, श्रम सह अध्यक्ष, (**BOCWB**) मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
(3) श्रमायुक्त सह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
(4) कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
(5) उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़।
(6) कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, रायपुर।
(7) नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
(8) सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, जिला .... (छ0ग0)
(9) लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर।
(10) आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 23/11/12

क्रमांक 08 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–20/2011/16, रायपुर, दिनांक 11.01.2012 में हितग्राहियों के लिए दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हिताधिकारियों को दुर्घटना में हुए इलाज के लिए होने वाले व्यय के रूप में मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता राशि रूपये 20,000/– अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो संबंधित अस्पताल को प्रदाय किया जावेगा।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 3.07.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल
रायपुर, दिनांक 23

पृ0क्र0 / /

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)

3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार क[illegible], रायपुर
माता गैरेजे के पीछे, जय भोले काम्प्लेक्स के सामने आर्शीवाद भवन पंडरी रायपुर
फोन नं0–0771–2420032

अधिसूचना

दिनांक 23/11/2012

क्रमांक / 2012 / 07 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियम) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, 2011" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है।

(स) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायता श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(द) अन्य विवरण :–

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

टीपः– **यह अधिसूचना दिनांक 11.01.2012 भूतलक्षीय प्रभाव से लागू होगा।**

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर

O/C

पृष्ठांकन क्र0/2012/4024-4058 रायपुर दिनांक 23/4/12

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सचिव)
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

//<u>अधिसूचना</u>//

रायपुर दिनांक 3/7/2012

क्रमांक एफ 10–20/2011/16:–"भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित" छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दीगई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–20/2011/16, रायपुर, दिनांक 11.01.2012 में हितग्राहियों के लिए दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :–

(अ) योजना का प्रावधानः–

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हिताधिकारियों को दुर्घटना में हुए इलाज के लिए होने वाले व्यय के रूप में मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता राशि रूपये 20,000/– अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो संबंधित अस्पताल को प्रदाय किया जावेगा ।

उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

1018
P.SEC–Labour
06/7/12

DLC(S)

पृष्ठांकन क. एफ 10–20/2011/16 रायपुर दिनांक 3 /7/2012

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग,मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ.ग.)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी /सहायक श्रम पदाधिकारी..........................(छ.ग.)
8. उपसंचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ.ग.)
9. उपसंचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

29-6-12

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 18/01/2012

क्रमांक एफ 10–20/2011/16: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:–

दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना:–

(अ) **योजना का प्रावधान:–**

(i) योजना का नाम "दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना 2011" होगा ।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदाय राशि रूपये 20,000/– अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो कम हो प्रदाय किया जावेगा ।

(iii) योजना के प्रावधान राज़पत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा ।

(ब) **योजना हेतु पात्रता:–**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है।

(स) **स्वीकृति का अधिकार:–**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा ।

(द) **अन्य विवरण:–**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

13-12-11

D:\NOTIFICATION\Notification02.doc32

पृष्ठांकन क्र एफ 10–20/2011/16, रायपुर दिनांक 19/01/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. स्टॉफ आफिसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ.ग.)।
5. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ.ग.)
5. अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
6. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.........................
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा............................
9. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

19/12/11

D:\NOTIFICATION\Notification02.doc33